8.10.22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 17.11.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

11/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। एकतरफा बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम मेजा में आ० न० 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि हजारी वल्द जोधा गाडरी के खातेदारी की थी जो हजारी के देहान्त के पश्चात उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान बंशी, नारायण, गोपाल, केशी, देऊ, मांगी, नारायणी पिता हजारी एवं रामी पत्नि हजारी प्रत्येक के नाम पर 1/8-1/8 हक हिस्से से राजस्व अभिलेख मे दर्ज हुई। उक्त आराजी में से बंशी व केशी ने अपना 1/8-1/8 यानि 1/4 हिस्सा रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा को विक्रय कर दिया जिसे भंवरलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से को नेमीचन्द पिता हीरालाल भण्डारी को विक्रय कर दिया। तथा नारायणी एवं देऊ ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा नारायण व गोपाल के पक्ष में हक तर्क कर दिया जो कि नारायण व गोपाल के नाम पर दर्ज हो गया। तथा अपीलार्थी की माता रामी के देहान्त होने पर खाता विरासत से बंशी, नारायण व गोपाल के नाम दर्ज हुआ अर्थात रामी का 1/8 हिस्सा कुल 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि बंशी, गोपाल व नारायण के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार प्रत्येक के एक हिस्से में 9 बिस्वा भूमि रामी की वियसत से प्राप्त हुई। तत्पश्चात नारायण व बंशी ने अपने हिस्से की भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से रेस्पो० सं० 1 यशोदा देवी पत्नि रामनारायण बिड़ला नि० भीलवाड़ा को विक्रय कर दिया। अर्थात नारायण ने अपना 1/3 हिस्सा व बंशी ने अपना 1/24 हिस्सा विक्रय किया जबकि अपीलार्थी को न्यायालय श्रीमान के वाद सं० 53/22 निर्णय दि० 19/5/2022 से खातेदार नारायण व गोपाल के हिस्से में से 1/8 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं० 3505 दिनांक 18/7/2022 से खोला गया। अपीलार्थी को मांगी पुत्री हजारी से प्राप्त एक हिस्से का बिक्रय नहीं किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी सं० 1 के नाम पर सम्पूर्ण आराजीयात को ना० सं० 3530 दि० 16-9-22 से ग्राम पंचायत मेजा ने निर्णीत कर दिया जो विधि विरुद्ध है। उक्त नामान्तरकरण को निरस्ती हेतु अपील आपके न्यायालय में पेश कर दी है जिसके निर्णय में समय लगेगा परन्तु प्रत्यर्थी के नाम भूमि दर्ज हो जाने से वह इसका फायदा उठाकर भूमि को अन्य को हस्तान्तरण व कुर्क बुर्द करने पर आमादा है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] स्वीकार फरमाया जावे।

हमने [illegible] [illegible] सुना एवं प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अध्ययन से हम यह उचित समझते हैं कि पक्षकारान में और अधिक मुकदमेबाजी नहीं बढ़े तथा उचित न्याय एवं निर्णय हेतु ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:54 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मेजा की आराजी नम्बर 520 रकबा 2.0614 हैक्टयर जो प्रत्यर्थी सं० 1 के नाम पर दर्ज है उसमें से 09 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त की है से बेदखल नहीं करने एवं किसी अन्य को खुर्द-बुर्द व अन्तरित नहीं करने व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रत्यर्थी सं० 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। अतएव -

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अपील के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी सं० 1 ग्राम मेजा की आ०न० 520 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा (2.0614 हैक्टयर) में अपीलार्थी के 9 बिस्वा हक हिस्से की भूमि को किसी भी माध्यम से किसी अन्य को खुर्द-बुर्द, अन्तरित व भारित नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे। अप्रार्थी सं० 3 उक्त आराजी के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करे व अप्रार्थी सं० 2 रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली पूर्ण [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:54 IST
Reason: SelfAttested